

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-07 / 2012..... / रॉची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ पी.बी.-III, ग्रेड पे रु.-7600 / - को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम / आई.डी. कोड / जन्म तिथि / कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-03) एवं ग्रेड पे रु. 7600 / - देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पुनीत सिंह जे 5974 / 09.05.51 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	07.02.79	07.02.09	
2	श्री विमल कुमार जे 2890 / 01.01.49 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12 मानगो जमशेदपुर	01.02.71	01.09.08	
3	श्री नन्द किशोर पोद्दार जे 5609 / 02.12.56 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	02.02.79	02.02.09	
4	श्री घनश्याम नारायण ठाकुर / जे 6478 / 10.10.54 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	20.02.79	20.02.09	
5	श्री रामानुज शर्मा जे 7188ए / 02.03.49 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	26.03.79	26.03.09	
6	श्री मनोजित कुमार दास गुप्ता / जे 2734 / 01.07.49 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12 मानगो जमशेदपुर	26.04.72	01.09.08	
7	श्री राधेश्याम मेहता जे 4720ए / 11.09.51 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	06.07.79	06.07.09	

1	2	3	4	5
8	श्री जयनन्दन शर्मा जे 4953 / 12.01.56 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	07.02.79	07.02.09	
9	श्री सुरेन्द्र झा जे 6071 / 01.01.52 / जलपथ प्रमंडल, खूँटी	09.02.79	09.02.09	
10	श्री श्याम किशोर सिंह जे 5985 / 02.12.54 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-12, मानगो जमशेदपुर	02.02.79	02.02.09	
11	श्री श्याम किशोर सिंह जे 5449 / 06.07.55 / समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल-02, देवघर	07.02.79	07.02.09	
12	श्री अजीत कुमार जे 7199ए / 05.01.55 / सिंचाई प्रमंडल, देवघर	30.06.79	30.06.09	
13	श्री शिवनाथ पाण्डेय जे 5957 / 01.07.56 / रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची	02.07.79	02.07.09	
14	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह जे 4408 / 02.10.49 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-08 जमशेदपुर /	07.02.77	01.09.08	
15	श्री हीरा लाल सिंह जे 5063 / 06.03.56 / लघु वितरणी प्रमंडल सं.-05 डिमना जमशेदपुर	02.02.79	02.02.09	
16	श्री हृदयानन्द सिंह जे 5180 / 21.03.54 / पुनासी स्पीलवे प्रमंडल पुनासी	02.02.79	02.02.09	
17	श्री रामोदार शर्मा जे 4479 / 29.12.49 / जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	02.05.79	02.05.09	
18	श्री प्रकाश चन्द्र मोदी जे 5840 / 22.11.51 / रूपांकण प्रमंडल सं.-02 सिंचाई देवघर	06.02.79	06.02.09	
19	श्री भोला प्रसाद सिन्हा जे 5840 / 18.05.55 / सिंचाई प्रमंडल, देवघर	06.02.79	06.02.09	
20	श्री रामायण चौधरी जे 6900ए / 05.06.51 / जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	20.02.79	20.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतेय राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित मुख्य अभियन्ता/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

3698

राँची, दिनांक :-

6-7-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इनफोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-20 / 2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6675 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-5400/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं ग्रेड पे रू. 5400/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कामेश्वर प्रसाद तांती जे 7555 / 04.03.66 / योजना मोनिटरिंग अंचल सं.-01, राँची	16.01.87	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतये राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. आदेश पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-01, राँची को श्री कामेश्वर तांती, कनीय अभियंता की मूल सेवापुस्त के साथ/ श्री कामेश्वर तांती, कनीय अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं.-01, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 3708 राँची, दिनांक :- 8-7-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-16 / 2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.02 एवं 1038 दिनांक 26.05.05 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-234 दिनांक 11.11.06 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. लाभ की स्थिति		ए.सी.पी. आ. एवं तिथि
			प्रथम लाभ वेतनमान 6500-10500, देय तिथि	द्वितीय लाभ वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	
1	2	3	4	5	6
1	श्री कृष्ण भगवान उपाध्याय जे 7189 / 18.01.56 / सिंचाई प्रमंडल, बरहेट	21.03.79	09.08.99	21.03.03	234 / 11.11.06

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त ए०सी०पी० के तहत उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बरहेट को श्री कृष्ण भगवान उपाध्याय, कनीय अभियंता की मूल सेवापुस्त के साथ/ श्री कृष्ण भगवान उपाध्याय, कनीय अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बरहेट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 3734 राँची, दिनांक :- 8-7-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)